

फर्द अहकाम

मीना देवी बनाम कमलेश कुमार वगै०  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
 मुकदमा नम्बर .....०/...../2025 दावा घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष कि
	16.5.25	पत्रावली पेश / वकील उभय पक्षे उपस्थित / साबिक आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 06.06.25 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी पावटा	
	06.6.25	वकिलाये फरीकन उपस्थित वकीलों को पेश है पत्रावली दिनांक 24.6.25 को पेश हो।	
	24.6.25	वकिलाये फरीकन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 28.7.25 को पेश हो।	
	28.07.25	पत्रावली पेश की गयी थी और के के उपस्थित नहीं। व्यापार सम्पत्ति के दस्तावेज बार-बार आवाज लगाने के बाद भी गार्डिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं आते के कारण गार्डिया आवेदन अदम हाजरी एवं अदम करने के आदेश दिया जाता है। पत्रावली केवल सुधार होकर दर्ज वकालत से कम हो गई शकिल इफ्तार है।  उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)	